अब हर सुनवाई में सड़क मार्ग से आएंगे अधिकारी, तब समझ आएगा जनता का दर्द

सख्ती ●हाई कोर्ट का एनएचएआइ पर तंज, कहा- आप क्या चाहते हैं स्टापर उड़ाते फिरे

मनमाने अफसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईवे की मरम्मत में लापरवाही बरतने पर नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर को कोर्ट ने नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर स्वयं उसी खराब सड़क मार्ग से सफर कर कोर्ट में पेश हों ताकि उन्हें जनता की परेशानी का अनुभव हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनएचएआइ के अधिवक्ता धीरज वानखेड़े से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा- मिस्टर वानखेड़े, आप तो रोज रायपुर जाते होंगे, क्या आपने इस हाईवे की हालत देखी है। सड़क पर जो स्टापर और मटेरियल मेंटेनेंस के नाम पर फेंके जाते हैं, वे लावारिस हालत में बिखरे रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें उड़ाते चले।

बिलासपुर-रायपुर हाईवे में कई जगह से टूटी है सड़क।

एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, हर सुनवाई में बुलाएंगे- हाई कोर्ट

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब केवल औपचारिक एफिडेविट दाखिल करने से बात नहीं बनेगी। जब तक संबंधित अधिकारी खुद सड़क पर सफर कर इसकी बदहाली को महसूस नहीं करेंगे, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि, अब हर सुनवाई की तारीख पर एनएचएआइ के प्रोजेक्ट मैनेजर को इसी सड़क मार्ग से बुलवाया जाएगा।

अव्यवस्थाओं पर नईदुनिया भी उठाता रहा है मामला

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की बदहाली को लेकर नईदुनिया लगातार रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है। इसमें हाईवे पर सड़कें जगह-जगह से उखड़ी हुई हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिनमें बारिश के बाद जलजमाव से हालात और बिगड़ जाते हैं। कई हिस्सों में कोलडस्ट और राखड़ बिखरे रहने से न सिर्फ दृश्यता घटती है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। जगह-जगह बिना योजना के डिवाइडर कट लगाए गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर नईदुनिया की ओर से समय-समय पर फोटो व तथ्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिस पर अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

प्रदेश का महत्वपूर्ण हाईवे, लापरवाही की स्थिति गंभीर

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे प्रदेश की राजधानी और न्यायधानी को जोड़ने वाला सबसे अहम मार्ग है। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर संभाग के लाखों लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं।

नईदुनिया लगातार

झाड़ू का दिखावा, कोल डस्ट फेर रहा पानी

दावों का नेशनल हाईवे, जमीनी हकीकत गड्ढे व दरारें

नईदुनिया में प्रकाशित खबर

आज पुनः होगी सुनवाई

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए निर्धारित की है। प्रोजेक्ट मैनेजर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हलफनामा से काम नहीं चलेगा, बल्कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

जनहानि के लिए एनएचएआइ जिम्मेदार

अदालत ने टिप्पणी की कि एनएचएआइ की लापरवाही से आम जनता की जान जोखिम में है। सड़क पर छोड़े गए मटेरियल और स्टापर्स से वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मवेशी भी इस लापरवाही की चपेट में आकर सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। इसका दोषी एनएचएआइ है।